FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना ....

वादी / वादीगण	बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
1 साबिरखां पुत्र गुलाबखां जाति मोयला मुसलमान निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा		1 जोनेखा पुत्र नबूखां जाति मोयला मुसलमान निवासी रामदेव नगर, कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (10) 11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा......धारा 53,188 RT Act. मुकदमा नंबरः–126 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2024	वादी साबिरखां वगैरा की ओर से वकील श्री इमरान खान ने यह वाद पत्र प्रतिवादी जोनेखां वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.11.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
15.10.2024	वादीगण मय वकील के निवेदन पर पत्रावली आज तलबी गई। वादीगण मय वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर ग्राम के मौजिज व्यक्तियों की समझाइश पर लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने से वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। अतः वाद जरिये विड्रो खारिज फरमावे। हमने वादीगण मय वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली तलबी के स्तर पर विचाराधीन [illegible] वादीगण स्वयं वाद [illegible] कार्यवाही [illegible] नहीं रखना) चाहते हैं। लिहाजा वादीगण का वाद जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **सहायक कलक्टर** **(S.D.O.) सिवाना**	साबीरखां अंगूठा निशान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.11.17 15:43:38 IST
Reason: SelfAttested